



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

## U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
Ref. No.

1271/ओ०र०न०-744/मोहम्मद अली/2024

दिनांक  
Dated

7-3-2024

To,

The Registrar  
National Green Tribunal  
Principal Bench  
New Delhi.  
E-mail : judicial-ngt@gov.in

**Sub.-Action Taken Report in Compliance to the direction issued by Hon'ble National Green Tribunal on 12.01.2024 in O.A. No. 744/2022 Moharram Ali Vs State of U.P. with O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali & Others Vs State of U.P.**

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Action Taken Report in compliance of the order issued on 12.01.2024 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 744/2022 Moharram Ali Vs State of U.P. with O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali & Others Vs State of U.P.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)  
Regional Officer

**Copy to :**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. District Magistrate, Muzaffarnagar for information.
3. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

o/c

**Report of UPPCB in compliance to the order dated 12.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal in OA No 744/2022 Moharram Ali versus State of UP and Ors along with O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali and Others Vs State of U.P.**

**1.0 Background:**

In reference to the grievance aroused by Mohd. Liyakat Ali and other residents of Village Dhandhera, Muzaffarnagar, complaining pulp and paper mills discharging highly polluted chemical mixed water in the land abutting their land. Further, Hon'ble Tribunal has passed several directions in the above O.A. Vide order dated 22.03.2023 and 25.07.2023. Hon'ble Tribunal has directed the joint committee to conduct inspection of the Pulp and Paper industries mentioned in the O.A and submit detailed compliance report to Hon'ble Tribunal. The joint committee inspected various industries in question on 05.10.2023 13.10.2023 and 01.12.2023 and the joint report was submitted to Hon'ble Tribunal on 11.01.2024.

**Directions issued to UPPCB by Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 12.01.2024**

*".....1. Report of the joint committee in terms of the directions of the Tribunal dated 22.03.2023 and 25.07.2023 has been filed on 11.01.2024. Joint Committee after visiting 16 pulp and paper industries located in Muzaffarnagar on 05.10.2023, 13.10.2023 and 01.12.2023 has found them to be the defaulting units in compliance of the effluent discharged standards as per consent to operate (CTO) conditions. Only one unit out of 16 is implementing ZLD and rest are not.*

*2. UPPCB should disclose the reasons for permitting discharge into drains rather than insisting on ZLD/or using treated effluents for irrigation, etc.*

*We also find that there is variance in standards stipulated in CTO and notified under EPA.*

*3. Units from serial no.1 to 14 are represented through the Counsel who has prayed for three weeks' time to file objections to the report.*

*4. Let notice be issued to units at serial no. 15 and 16 for filing their response within three weeks.*

*5. Meanwhile, UPPCB will also file the report disclosing the action taken against defaulting units as well as the enforcement of action plan disclosed in para 2.4 of the report....."*

**Action taken against defaulting industries and enforcement of action plan disclosed in para 2.4 of the joint report.**

As per the analysis reports of samples of treated effluent discharge from outlet of ETP, all 16 Pulp and Paper units were found to be complying with the treated effluent discharge standards

as notified under EPA 1986, however, effluent samples which were collected by grab method from inlet and outlet of ETP from 16 units, analysis reports of 10 units indicates very high reductions in values of COD/BOD/TSS, hence, composite samplings of influents and effluents from different units of ETP is necessary to obtain adequacy reports of ETP and study the efficiency of ETP and characteristics of influent/effluent. Hence, UPPCB has issued directions to identified 10 units under 33(a) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 to involve Central Pulp & Paper Research Institute (CPPRI) for carrying out composite samplings to study of efficiencies of ETP, obtain adequacy reports of ETP and study the characteristics of influents/effluents and submit the report within 15 days to UPPCB. Details of which is produced below :-

SL no	Name of the industry	Questionable values of Parameters values of Raw influent of ETP	Questionable values of Parameters values of treated effluent of ETP	Reason for non-compliance	Action taken against the defaulting industry
1	M/s Garg Duplex & Paper Mills Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	BOD=54 mg/l	BOD=26 mg/l	The BOD at the inlet of ETP is very low (54 mg/l) which is not showing the actual characteristics of the raw effluent.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 1.</b>
2	M/s Silverton Pulp & Papers Pvt. Ltd. (Unit-1), Bhopa Road, Muzaffarnagar	COD=8052 mg/l	COD=100 mg/l	The analysis results showing reduction of 98.76% for COD at the outlet of ETP which indicates possibility of dilution of effluent without any specific treatment system by the industry.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 2.</b>
3	M/s Silverton Pulp & Papers Pvt. Ltd. (Unit-2), Bhopa Road, Muzaffarnagar	TDS=8775 mg/l	TDS=1908 mg/l	The analysis results showing reduction of 78.26% for TDS at the outlet of ETP which indicates possibility of dilution of effluent without any specific treatment system by the industry.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 3.</b>
4	M/s Meenu Paper Mills Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	TDS=10612 mg/l	TDS=1922 mg/l	The analysis results showing reduction of 81.88% for TDS at the outlet of ETP	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI

				which indicates possibility of dilution of effluent without any specific treatment system by the industry.	and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 4.</b>
5	M/s Tehri Pulp and Paper Ltd (Unit 2) Bhopa Road, Muzaffarnagar	COD=5252 mg/l TDS=3764 mg/l	COD=186 mg/l TDS=1024 mg/l	Reduction of COD and TDS is 96.4% and 72.8% respectively between raw influent and treated effluent of ETP which indicates dilution of effluent by fresh water.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 5.</b>
6	M/s Tehri Pulp and Paper Ltd (Unit 1) Bhopa Road, Muzaffarnagar	COD=7200 mg/l	COD=92 mg/l	Reduction of COD is 98.7% between raw influent and treated effluent of ETP which indicates dilution of effluent by fresh water.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 6.</b>
7	M/s Shri Bhageshwari Papers Pvt. Ltd. (Unit-2), Bhopa Road, Muzaffarnagar	BOD=48 mg/l	BOD=24 mg/l	The BOD at the inlet of ETP is very low (48 mg/l) which is not showing the actual characteristics of the raw effluent.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 7.</b>
8	M/s Tirupati Balaji Fibers Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	COD=5360 mg/l	COD=97.6 mg/l	Reduction of COD is 98.1% between raw influent and treated effluent of ETP which indicates dilution of effluent by fresh water.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 8.</b>
9	M/s Bindals Papers Mills Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	TDS=14802 mg/l	TDS=1247 mg/l	The analysis results showing reduction of 91.5% for TDS at the outlet of ETP which indicates possibility of dilution of effluent without any specific treatment system by the industry.	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 9.</b>
10	M/s Shri Sidhballi Paper Mills Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	COD=10208 mg/l TDS=17108 mg/l	COD=164 mg/l TDS=1618 mg/l	Reduction of COD and TDS is 98.4 % and 90.5% respectively	Direction issued to the unit for conducting composite sampling of ETP and Characteristic of influent to ETP through CPPRI

				between raw influent and treated effluent of ETP which indicates dilution of effluent by fresh water.	and submit ETP efficiency report within 15 days (Notice issued to unit is annexed as <b>Annexure 10.</b>
--	--	--	--	---	--

Re verification of the defaulting industries shall be conducted after the industries submit the compliances of directions issued to them.

In reference to the action plan for pulp and paper industries submitted by the joint committee in the report dated 11.01.2024, directions have been issued to all the 16 units by Regional Officer, UPPCB vide letter no. 1208/OA No. 744/Moharram Ali/2024 dated 27.02.2024 with direction to submit pointwise timebound compliance report to Board. Letter annexed as **Annexure 11.**

**Steps taken by UPPCB for pulp and paper units for achieving ZLD/ re using treated effluent for agricultural process**

Out of identified 16 Pulp and Paper industries, 01 unit is already achieving ZLD. Directions have already issued to all the industries to submit action plan for achieving ZLD/Utilization of treated effluent in irrigation/process (**Annexure 12**). Pulp and Paper Association, Muzaffarnagar vide letter dated 06.03.2024 has submitted that regarding achieving ZLD of the effluent in the industries, survey shall be conducted by CPPRI and as per CPPRI survey and recommendations, implementation of ZLD of effluent will be achieved. Letter of association is annexed as **Annexure 13.**

It is also important to note that in compliance to various directions of previous charter for pulp and paper industries, the units have upgraded the ETP and their processes to reduce consumption of ground water and reuse of treated water. Due to modifications in ETP's and processes, pulp and paper industries have achieved almost 65% reduction in discharge of treated effluent. Few industries are also already in the process of modifications to achieve ZLD.

**Regarding variance in standards stipulated in CTO and notified under EPA for treated effluent discharge.**

It has been observed by the committee that as per the consent issued to the pulp and paper industries by UPPCB, consent condition has been imposed stating that the industry shall achieve proposed pulp and paper charter for BOD – 20mg/l and COD – 200mg/l. The concerned

industries vide Pulp & Paper Association letter dated 06.03.2024 has submitted that all the paper units are complying with the Environment (Protection) Act, 1986 (EPA) treated effluent discharge standards for paper industries.

S.No.	Name of Officials & Details	Signature
1.	<b>Ankit Singh</b> Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar	
2.	<b>Imraan Ali</b> Asstt. Environment Engineer, UPPCB, Muzaffarnagar	



929

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 1

संदर्भ संख्या H0 8030 / सी-3 / जल 33ए / मुजफ्फरनगर / 2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

मै0 गर्ग डुप्लेक्स एण्ड पेपर मिल्स प्रा0लि0.

भोपा रांड,

मुजफ्फरनगर। 9359797071

पंजीकृत

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.71	142	2952	913	54
Outlet of ETP	7.14	46	1216	216	26

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह में Inlet of ETP पर BOD की मात्रा 54 mg/l पायी गयी है, जो कि Raw Effluent की Characteristics नहीं दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका रागरत उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के ताब प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



930

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-2

संख्या 1108036 / सी-3 / 2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

मै0 सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0 (यूनिट-1),

गोपा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9897068626

पंजीकृत

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 744/2022 मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 211/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.86	186	912	8052	720
Outlet of ETP	7.43	42	1372	100	21.2

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्स्राव में Inlet of ETP पर COD की मात्रा 8052 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर COD की मात्रा 100 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of COD 98.76% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



931  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-3

संदर्भ संख्या M.O.F. 39 / सी-3 / जल 384 / 2024

दिनांक 6/7/2024

सेवा में,

मै0 सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0 (यूनिट-2),

भोगा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9756750000

पंजीकृत

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 744/2022 मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	6.47	208	8775	2230	510
Outlet of ETP	7.08	40	1908	94	18

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्स्रवण में Inlet of ETP पर TDS की मात्रा 8775 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर TDS की मात्रा 1908 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of TDS 78.26% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



932

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-4

संदर्भ संख्या H08033/सी-3/जल-3-1/मु.नगर/2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

मै0 मीनू पेपर मिल्स प्रा0लि0,  
भांया रोड,  
मुजफ्फरनगर। 983782 0000

पंजीकृत

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0.744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.93	1275	10612	5768	1658
Outlet of ETP	7.36	44	1922	177	22

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्स्रावह में Inlet of ETP पर TDS की मात्रा 10612 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर TDS की मात्रा 1922 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of TDS 81.88% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CIPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु जयिष्ठृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



933

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 5

संदर्भ संख्या Ho/P-37/सी-3/अन.619/मु.नगर/2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 टिहरी पल्प एण्ड पेपर लि0 (यूनिट-2),

मौजा चौड़,

मुजफ्फरनगर। 0131-2468383

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 744/2022 मोहरंम अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 211/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.77	418	3764	5252	712
Outlet of ETP	7.36	42	1024	186	24

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्स्राव में Inlet of ETP पर TDS एवं COD की मात्रा क्रमशः 3764 mg/l एवं 5252 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर TDS एवं COD की मात्रा क्रमशः 1024 mg/l एवं 186 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of TDS and COD क्रमशः 72.8% एवं 96.4% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त-3)



934

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-6

संदर्भ संख्या H08031/सी-3/अ. 361/मुजफ्फर 2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 टिहरी पल्प एण्ड पेपर लि0 (यूनिट-1),

भांफा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9837058214

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 744/2022 मोहरर्म अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विद ओ0ए0 नं0 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई0टी0पी0 इनलेट एवं ई0टी0पी0 आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है :-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.42	1234	1870	7200	612
Outlet of ETP	7.46	48	865	92	27.6

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह में Inlet of ETP पर COD की मात्रा 7200 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर COD की मात्रा 92 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of COD 98.7% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अलिप्त।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निम्नलिखित, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



935

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 7

संदर्भ संख्या H.O. 35 / सी-3 / जल 653 / मुजफ्फरनगर / 2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

मै० श्री भागेश्वरी पेपर्स प्रा० लि० (यूनिट-2),

मोसा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9837066491

पंजीकृत

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 744/2022 मोहरंम अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० विद् जे०ए० नं० 211/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई०टी०पी० इनलेट एवं ई०टी०पी० आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-

Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	7.43	102	1648	604	48
Outlet of ETP	7.04	42	1178	160	24

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जाँत उत्स्राव में Inlet of ETP पर BOD का मात्रा 48 mg/l पायी गयी है, जो कि Raw Effluent की Characteristics नहीं दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



936

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 8

संदर्भ संख्या Ho 8032 / सी-3 / जल 363 / मुजफ्फरनगर / 2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै० तिरुपति बालाजी फाइबर्स प्रा०लि०,

भोपा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9837068848

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 744/2022 मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० वि० आ०ए० नं० 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई०टी०पी० इनलेट एवं ई०टी०पी० आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-


Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.1	428	3254	5360	702
Outlet of ETP	7.34	28	1678	97.6	18.4

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जानत उत्स्राव में Inlet of ETP पर COD की मात्रा 5360 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर COD की मात्रा 97.6 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of COD 98.1% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर राक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-


1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)



937

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 9

संदर्भ संख्या H08034/सी-3/जल 624/11-115/2024

दिनांक 6/3/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै० बिन्दल्स पेपर्स मिल्स लि०,

भोपा रोड,

मुजफ्फरनगर। 9690008072

विषय:—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 744/2022 मोहर्म्म अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० विद ओ०ए० नं० 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई०टी०पी० इनलेट एवं ई०टी०पी० आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत है:-


Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	6.52	1212	14802	4316	968
Outlet of ETP	7.03	42	1247	218	26

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह में Inlet of ETP पर TDS का मात्रा 14802 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर TDS की मात्रा 1247 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of TDS 91.5% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CPPRI से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)



938

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 10

संदर्भ संख्या Ho.P-38/सी-3/अ.प्र.प.ब. 475/मु.प्र.नगर/2024

दिनांक 6/9/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै० श्री सिद्धबली पेपर मिल्स लि०,  
भोपाळ रोड,

मुजफ्फरनगर। 9837067036

विषय:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक गा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 744/2022 मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० विद ओ०ए० नं० 277/2022 लिखावत जली एण्ड जर्नल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 25.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक-13.10.2023 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के ई०टी०पी० इनलेट एवं ई०टी०पी० आउटलेट के जल नमूने एकत्रित किये गये। जल नमूनों में प्राप्त प्रदूषित प्रचालकों का विवरण निम्नवत् है:-


Location of sample	Parameters, mg/L except pH				
	pH	TSS	TDS	COD	BOD
Inlet of ETP	5.46	1824	17108	10208	836
Outlet of ETP	7.05	45	1618	164	12

उपरोक्त तालिका के अनुसार उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह में Inlet of ETP पर TDS एवं COD की मात्रा क्रमशः 17108 mg/l एवं 10208 mg/l पायी गयी है तथा Outlet of ETP पर TDS एवं COD की मात्रा क्रमशः 1618 mg/l एवं 164 mg/l पायी गयी है, जो कि Reduction of TDS and COD क्रमशः 90.5% एवं 98.4% दर्शाता है। अतएव उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की Efficiency एवं Raw Effluent की Characteristics का मापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.02.2024 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं-


1. उद्योग में स्थापित ई.टी.पी. की यूनिटवार Composite Sampling कराकर प्रत्येक यूनिट की Efficiency, Total ETP Efficiency की Adequacy Report तथा Raw Effluent की Characteristics Study प्रमुख प्रदूषित प्रचालकों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान यथा CIPRA से कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिवृत्त।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

## U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
Ref. No.

1208/आइएन० 744/बिईमडो/2024

दिनांक

Dated 27-02-2024

सेवा में,

द्वारा : ई-मेल

समस्त पल्प एण्ड पेपर उद्योग (सूची संलग्न)  
जनपद-मुजफ्फरनगर।

अतिमहत्वपूर्ण

विषय-मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि मुख्यतः पल्प एण्ड पेपर उद्योगों से जनित उत्प्रवाह से हो रहे जल प्रदूषण एवं फलाई एश/हैजार्ड्स वेस्ट/प्लास्टिक वेस्ट से जनित प्रदूषण के सम्बन्ध में है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित पल्प एण्ड पेपर उद्योगों का निरीक्षण संयुक्त रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन के साथ करते हुए आख्या दिनांक 11.01.2024 को मा० अधिकरण में प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित आख्या में संयुक्त समिति द्वारा पल्प एण्ड पेपर उद्योगों से जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु Specific Action Plan के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर संस्तुति की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए मा० अधिकरण द्वारा राज्य बोर्ड को उक्त Action Plan में की गई संस्तुति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश पारित किये गये हैं। उक्त Action Plan, जो कि पल्प एण्ड पेपर उद्योगों से सम्बन्धित है, Timeline के साथ निम्नानुसार प्रेषित है :-

S.No.	Action Points	Responsible Agency for execution	Timelines for execution
<b>a) Wastewater Management</b>			
(iv)	The Agro based pulp & paper mills should submit an action plan for the complete treatment of wet washing effluent to UPPCB.	Pulp & Paper Industries	03 Months
(v)	All industries are required to upgrade their ETPs to meet the prescribed standards as per CTO issued by UPPCB and Action Plan may be submitted to UPPCB.	Pulp & Paper Industries	01 Month
<b>b) Fly-ash Management</b>			
(i)	Industries should enter into direct agreement/contract with cement plants or brick manufacturers and maintain proper logbook records along with bills/receipts to ensure safe disposal.	Pulp & Paper Industries	01 Month

क्रमशः ...2...


<b>c) Hazardous Waste Management</b>			
(i)	Proper records should be maintained for generation as well as disposal of hazardous waste through logbooks and manifests received from authorized recyclers/TSDF operators and quarterly reports of the same should be submitted to UPPCB.	Pulp & Paper Industries	Quarterly
(ii)	All the hazardous waste generating industries shall require to register on the National Hazardous Waste Tracking System developed by CPCB.	Pulp & Paper Industries	Immediate
<b>d) Plastic Waste Management</b>			
(i)	The industries should make direct agreement/contract with the plastic waste processor/Cement plant to ensure the safe disposal and should maintain logbook records along with bills/receipt.	Pulp & Paper Industries	01 Month
(ii)	Units should maintain proper daily records for generation as well as disposal of plastic waste through logbooks, bills/receipt received from the authorized plastic waste processors and submit the quarterly report of the same to the UPPCB.	Pulp & Paper Industries	Quarterly
(iii)	Units should set up a dedicated and adequate space for collection, storage and disposal of plastic waste generated by the wastepaper based units.	Pulp & Paper Industries	02 Months
(iv)	The plastic packaging waste generated in the pulp & paper industry should be disposed-off through plastic waste processors (PWPs) which are registered on the Centralized Extended Producer's Responsibility (EPR) Portal for plastic packaging, in compliance of the Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016.	Pulp & Paper Industries	03 Months
(v)	The pulp & paper mills which are importing wastewater containing plastic waste as raw material should get themselves registered on the centralized EPR Portal for plastic packaging under the importer category.	Pulp & Paper Industries	03 Months

उपरोक्त वर्णित Action Plan के विभिन्न बिन्दुओं पर निर्धारित Timeline के अनुसार सभी पल्प एण्ड पेपर उद्योगों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त Action Plan along with Timeline के सम्बन्ध में बिन्दुवार अनुपालन आख्या 03 कार्यदिवसों में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 12.03.2024 नियत है। अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन

क्रमशः ...3...

सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा जिस उद्योग द्वारा Action Plan के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जायेगी, ऐसे उद्योगों की सूचना राज्य बोर्ड द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित कर दी जायेगी तथा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा यदि कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग का स्वयं का होगा।

भवदीय,  
  
(अकित सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

5/11

LIST OF INDUSTRIES

S.No.	Name & Address of Industry
1.	GARG DUPLEX & PAPER MILLS (P) LTD. BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
2.	K.K. DUPLEX PVT. LTD., JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
3.	KRISHNANCHAL PULP & PAPERS PVT. LTD., (FORMERLY PRIME PAPERS) JOLLY ROAD, MUZAFFARNAGAR
4.	MAHALAXMI CRAFT & TISSUES BHOPA ROAD, JANSATH MUZAFFARNAGAR.
5.	AGGARWAL DUPLEX & BOARD MILLS LTD. BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR
6.	MEENU PAPERS (P) LTD. BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR
7.	ORIENT BOARD & PAPER MILL PVT. LTD., JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
8.	PARIJAT PAPER MILLS, LTD., BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
9.	DDLS PAPERS PVT. LTD., 10KM MEERUT ROAD, DHAULAPUL, BEGRAJPUR, MUZAFFARNAGAR
10.	GENUS PAPER & BOARDS LTD. (UNIT-1), JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
11.	GENUS PAPER & BOARDS LTD. (UNIT-2), JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
12.	SHAKTI CRAFT & TISSUES, JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
13.	SHAKUMBARI PULP & PAPER BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
14.	SHRI BHAGESHWARI PAPER MILLS (P) LTD., BHOPA ROAD UNIT-1 MUZAFFARNAGAR
15.	SHRI BHAGESHWARI PAPER MILLS (P) LTD., BHOPA ROAD UNIT-2 MUZAFFARNAGAR
16.	SIDDHESHWARY IND. PVT. LTD., JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
17.	SIDHIBALI PAPERS MILLS LTD, BHOP ROAD, MUZAFFARNAGAR
18.	SILVERTOAN PAPER LTD. (UNIT-1) BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
19.	SILVERTOAN PAPER LTD. (UNIT-2) 16BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
20.	SUYASH CRAFT & PAPERS LTD., VELHANA, MUZAFFARNAGAR
21.	TEHRI PULP & PAPERS LTD. BHOPA ROAD (UNIT-1) MUZAFFARNAGAR
22.	TEHRI PULP & PAPERS LTD. BHOPA ROAD (UNIT-2) MUZAFFARNAGAR
23.	TIRUPATI BALAJI FIBRES LID. BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
24.	SHRI VEER BALAJI PAPER MILLS (FORMERLY SITA PAPER MILL) BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
25.	S.K. PAPERS, JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR
26.	SILVER TON PULP & PAPER, BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR.
27.	ARISTO CRAFT PAPER MILLS PVT. LTD. MEERUT ROAD, MUZAFFARNAGAR
28.	SILVER TONE PULP & PAPER (UNIT-2) BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR.
29.	BINDALAS DUPLEX LTD, BHOPA ROAD (UNIT-1), MUZAFFARNAGAR
30.	BINDALAS DUPLEX LTD, BHOPA ROAD (UNIT-2) MUZAFFARNAGAR
31.	BINDALS PAPERS MILLS LTD. BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR.
32.	D.L.S. PAPERS PVT. LTD., 10KM MEERUT ROAD, DHAULAPUL, BEGRAJPUR, MUZAFFARNAGAR
33.	DISHA PAPER INDUSTRIES, JOLLY ROAD, MUZAFFARNAGAR
34.	GALAXY PAPERS PVT.LTD. JOLLY ROAD, MUZAFFARNAGAR
35.	ARAMCO PAPERS PVT LTD, KHASARA NO.- 550, VILLAGE- SHERNAGAR, JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR, UTTAR PRADESH, MUZAFFAR NAGAR, 251001
36.	HANUMANANT PAPER MILLS PVT LTD, Khasra No. 1039, 1057, 1058, 1059, 1065, 1066, Village- Shernagar 8.5 KM, Jansath Road, Muzaffarnagar, MUZAFFAR NAGAR, 251001
37.	VELLUM PAPERS PVT LTD, Khasra No. 304, 9th KM Stone, Jolly Road, Village - Sikhreda, Distt. Muzaffarnagar (U.P.), MUZAFFAR NAGAR, 251308
38.	M/S ALPANA PAPERS PVT. LTD., 9th Km. Stone, Jolly Road, Vill. Sikhreda, Muzaffarnagar



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

Annexure - 12

संदर्भ सं०  
Ref. No.

1207/ओ०ए० संख्या 744/मोहरम अली/2024

दिनांक 27-2-2024  
Dated

सेवा में,

पल्प एण्ड पेपर उद्योग (सूची संलग्न)  
जनपद-मुजफ्फरनगर।

अतिमहत्वपूर्ण / मा० एन०जी०टी० प्रकरण

विषय-मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित पल्प एण्ड पेपर उद्योगों का निरीक्षण संयुक्त रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन के साथ करते हुए आख्या दिनांक 11.01.2024 को मा० अधिकरण में प्रेषित की जा चुकी है। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

1..... Only one unit out of 16 is implementing ZLD and rest are not. UPPCB should disclose the reasons for permitting discharge into drains rather than insisting on ZLD/or using treated effluents for irrigation, etc.....

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० के Upgradation के सम्बन्ध में CPPRI Saharanpur से सम्पर्क स्थापित करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर किये जाने अथवा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में प्रयोग किये जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अंकित सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

List of Industries

Sl no	Name of Pulp and Paper unit
1.	M/s Silvertan Papers Ltd. (Unit-1), Bhopa Road Muzaffarnagar
2.	M/s Silvertan Papers Ltd. (Unit-2), Bhopa Road Muzaffarnagar
3.	M/s Silvertan Pulp & Papers Pvt. Ltd. (Unit-1), Bhopa Road Muzaffarnagar
4.	M/s Silvertan Pulp & Papers Pvt. Ltd. (Unit-1), Bhopa Road Muzaffarnagar
5.	M/s Garg Duplex and Paper Mills Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar
6.	M/s Shree Sidhali Paper Mills Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar
7.	M/s Meenu Paper Mills Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar
8.	M/s Tehri Pulp & Paper Ltd. (Unit-1), Bhopa Road, Muzaffarnagar
9.	M/s Tehri Pulp & Paper Ltd. (Unit-2), Bhopa Road, Muzaffarnagar
10.	M/s Tirupati Baalaji Fibres Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar
11.	M/s Bindals Papers Mills Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar
12.	M/s Shree Bhageshwari Papers Pvt. Ltd. (Unit-1), Bhopa Road, Muzaffarnagar
13.	M/s Shree Bhageshwari Papers Pvt. Ltd. (Unit-2), Bhopa Road, Muzaffarnagar
14.	M/s Galaxy Papers Pvt. Ltd., Jolly Road, Muzaffarnagar
15.	M/s Bindlas Duplux Ltd. (Unit-1), Bhopa Road, Muzaffarnagar
16.	M/s Bindlas Duplux Ltd. (Unit-2), Bhopa Road, Muzaffarnagar



945

# PAPER MANUFACTURER ASSOCIATION

31-A, New Mandi, Muzaffarnagar-251 001 (U.P.) INDIA ♦ Mobile : +91-9690111190  
Fax : +91-131-2468588 ♦ e-mail : pma\_up@yahoo.in ♦ bindlas@hotmail.com

16/3/24

Annexure - 13

दिनांक : 6 मार्च, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
मुजफ्फरनगर।

विषय- मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० विद ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 744/2022 मोहरम अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० विद ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में निम्नवत् अवगत कराना है :-

- 1- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वाद में सम्मिलित समस्त 16 उद्योगों (15 उद्योग उत्प्रवाह निस्तारण हेतु अनुमन्य एवं 01 उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर आधारित है) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में निहित मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्गत सहमति में उल्लेखित मानकों के संशोधन हेतु राज्य स्तर पर गठित अपीलीय समिति में अपना प्रत्यावेदन 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 2- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि उद्योगों में स्थापित/संचालित पल्प एण्ड पेपर उद्योगों द्वारा वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत शुद्धिकृत उत्प्रवाह को चक्रित कर पुनः प्रक्रिया में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही उद्योगों द्वारा तकनीकी संस्थान सी.पी.पी.आर.आई. सहारनपुर से सम्पर्क कर उद्योगों में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अपग्रेडेशन/जेड.एल.डी./जनित उत्प्रवाह का सिंचाई में प्रयोग किये जाने पर कार्य अग्रसर है।
- 3- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि गठित संयुक्त समिति द्वारा दिये गये एक्शन प्लान के अनुसार धन्धेडा ड्रेन में परोक्ष/अपरोक्ष रूप से उत्प्रवाह निस्तारित कर रही पल्प एण्ड पेपर उद्योगों द्वारा प्रत्येक छह माह में डीसिल्टिंग का कार्य कराया जायेगा।

  
(अध्यक्ष)